

22/07/2025

SS

124



बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 पर दिनांक-26.06.2025 को पत्र प्राप्ति रचना पाटिल, सचिव(व्यय), वित्त विभाग की अध्यक्षता में संपन्न कार्यशाला की कार्यवाही।

संख्या 1496 स्थिति अनुलग्नक 1 के रूप में सूची संलग्न।

2. बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 के मुख्य अवयवों पर बिहार, बिहार विचार विमर्श हेतु मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में संपन्न कार्यशाला में प्रशासी विभागों के वरीय पदाधिकारी सम्मिलित हुये।

3. संदर्भित कार्यशाला में खरीद अधिमानता नीति के विभिन्न बिन्दुओं एवं उसके व्यावहारिक पहलुओं पर श्री ओम प्रकाश झा, बजट सलाहकार एवं श्री अजय कुमार ठाकुर, संयुक्त आयुक्त द्वारा विस्तारपूर्वक स्थिति स्पष्ट की गई। इस क्रम में पदाधिकारियों द्वारा की गई पृच्छा के संबंध में भी वस्तुस्थिति निम्नवत् स्पष्ट की गई :

(i) अधिसूचना सं० 8550 दिनांक 07.08.2024 द्वारा अधिसूचित बिहार खरीद अधिमानता नीति के अंग्रेजी में अनुपलब्ध होने की सूचना कतिपय प्रशासी विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई। इस संबंध में आश्वस्त किया गया कि बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 की अंग्रेजी प्रति वित्त विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दी

11 JUL 2025

(ii) सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिये उद्योग विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिये संबंधित प्रशासी विभाग नोडल विभाग है। उद्योग विभाग द्वारा जिन सामग्रियों की सूची जारी की जायेगी, उन सामग्रियों की अधिप्राप्ति में बिहार खरीद अधिमानता नीति लागू होगी। इस संबंध में कतिपय प्रशासी विभागों के प्रतिनिधियों की ओर से उद्योग विभाग द्वारा जारी की गई सूची से पत्र लिख कर सभी प्रशासी विभागों को अवगत करा दिया जायेगा।

48/12



(iii) कतिपय प्रशासी विभागों द्वारा बिहार खरीद अधिमानता नीति के तहत मूल्यों में दी जा रही अधिमानता के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त की गई, जिसके संबंध में स्पष्ट किया गया कि इस नीति के तहत मूल्यों में अधिमानता नहीं दी गई है, बल्कि स्थानीय औद्योगिक इकाइयों को खरीद में अधिमानता दी गई है। इस नीति में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए खरीद अधिमानता का मार्जिन (अन्तर) 15 प्रतिशत रखा गया है, जिसके अंतर्गत आने वाले स्थानीय उद्यम को एल1 की कीमत की बराबरी के लिये आमंत्रित किया जाता है।

(iv) एक से अधिक स्थानीय उद्यमों द्वारा एक ही कीमत का उल्लेख किये जाने की स्थिति में आपूर्ति आदेश प्रदान करने संबंधी प्रशासी विभागों की पृच्छा के परिप्रेक्ष्य में वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद में खरीद अधिमानता नीति के तहत स्थानीय उद्यम/इकाई को दी जाने वाली अधिमानता की विस्तृत चर्चा की गयी।

इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि एल1 गैर स्थानीय उद्यम हो तो 75 प्रतिशत मात्रा के लिये एल1 को आदेश दिया जायेगा एवं शेष 25 प्रतिशत मात्रा के लिये एल1 की कीमत की बराबरी के लिये खरीद अधिमानता की मार्जिन (15%) के अंतर्गत आने वाले स्थानीय उद्यम को आमंत्रित किया जायेगा। उक्त स्थानीय उद्यम एल1 की कीमत पर सामग्री उपलब्ध कराने की असमर्थता की स्थिति में अगले



1496/50-12
15-7-25

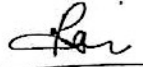
श्री मन्सूरी
सचिव

ऊँची बोली लगाने वाले खरीद अधिमानता की मार्जिन (15%) के अंतर्गत आने वाले स्थानीय उद्यम को एल1 की कीमत की बराबरी के लिये आमंत्रित किया जायेगा और आगे इसी अनुरूप संविदा प्रदान करने की कार्रवाई की जायेगी। अगर इसके बाद भी कुछ मात्रा स्थानीय उद्यमों द्वारा आपूर्ति से बची रह जाती है तो शेष मात्रा के लिये एल1 बोलीदाता को आपूर्ति आदेश प्रदान कर दिया जायेगा। खरीद अधिमानता की मार्जिन (15%) के अंतर्गत एक से अधिक स्थानीय उद्यमों द्वारा एक ही कीमत का उल्लेख किये जाने की स्थिति में उनके बीच बराबर मात्रा के लिये आपूर्ति आदेश प्रदान कर दिया जायेगा।

(v) प्रशासी विभागों के प्रतिनिधियों की ओर से केन्द्र प्रायोजित स्कीम के मामले में Central Share की राशि से बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 का उपयोग कर खरीद किये जाने के संबंध में पृच्छा की गई। इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि अगर केन्द्र प्रायोजित स्कीम के मार्गदर्शिका में General Financial Rules (GFR) का अनुपालन करने की अनिवार्यता हो तो उसमें GFR के नियमों का अनुपालन कर क्रय किया जायेगा। अगर मार्गदर्शिका में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं हो तो वहाँ बिहार वित्त नियमावली (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये नियमानुसार क्रय किया जायेगा।

4. कार्यशाला में संयुक्त आयुक्त द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि खरीद अधिमानता नीति के अनुपालन के क्रम में बिहार वित्त नियमावली के संविदा से संबंधित सामान्य प्रावधानों को दृष्टिपथ में रखा जाना आवश्यक है। उदाहरणस्वरूप, सामग्रियों की अधिप्राप्ति हेतु प्रकाशित निविदा में एजेंसी द्वारा सामग्री आपूर्ति के क्रम में लगने वाले परिवहन शुल्क/अधिष्ठापन शुल्क (यदि कोई हो तो) को भी शामिल करते हुये बोली की कीमत रखे जाने संबंधी तथ्य को टेंडर डॉक्यूमेंट में अंकित कर दिया जाना चाहिए। सेवाओं की अधिप्राप्ति के मामलों में श्रम संसाधन विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित राशि (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुपालन के साथ बोली की कीमत रखे जाने संबंधी तथ्य को टेंडर डॉक्यूमेंट में अंकित कर दिया जाना चाहिए। इस क्रम में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि एल1 की राशि बाजार मूल्य से अधिक न हो। सभी प्रशासी विभागों के स्तर से बिहार वित्त नियमावली के नियम-9 के आलोक में मितव्ययिता के सिद्धांत का नियमानुसार अनुपालन अपेक्षित है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला समाप्त हुई।

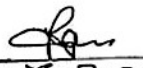

8.7.25
(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक:- एम-4-41/2025.....7684...../वि0,

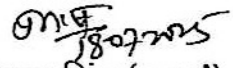
पटना, दिनांक.....09.07.2025

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


8.7.25
सचिव (व्यय)।

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक -12/अ0प्र0-33-01/2023 7854 पटना/दिनांक-21-7-24
प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/प्रशासनिक पदाधिकारी,
ब्राडा/सभी कार्यपालक अभियंता तथा आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के अवर सचिव
